

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1413]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2014/आषाढ़ 12, 1936

No. 1413]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2014/ASHADHA 12, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2014

का.आ. 1685(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचालन निर्बन्धन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करते हुए निम्निलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचालन निर्बन्धन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2014 है ।
 - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचालन निर्बन्धन) हटाना आदेश, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 3 के "मोटा अनाज" शब्दों के पश्चात् "प्याज और आलू" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
 - 3. उक्त आदेश, इस आदेश के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्याज और आलू वस्तुओं के लिए प्रास्थगित रहेगा।
- 4. इस आदेश के अंतर्विष्ट कोई बात, राज्य के बाहर स्थानों में प्याज और आलू के परिवहन, वितरण का व्ययनन को प्रभावित नहीं करेगी और न ही इन वस्तुओं के आयात पर लागू होंगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें, आयातकर्ताओं को प्याज और आलू के स्टाकों की प्राप्तियों की और उनके द्वारा प्रतिधारित उनके स्टाकों की घोषणा करने के लिए निदेश दे सकेंगी ।

[फा. सं. 10/2/2014-ई सी आर एंड ई]

मनोज परिडा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ. 517(अ), तरीख 29 जून, 1999, सा.का.नि. 104(अ), तारीख 15 फरवरी, 2002, का.आ. 1302(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2004, का.आ. 1373(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

2731 GI/2014 (1)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 3rd July, 2014

- **S.O. 1685(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely:—
- 1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2014.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, (hereinafter referred to as the said Order), in clause 3, after the word "coarsegrains", the words "onion and potato" shall be inserted.
- 3. The said Order shall be kept in abeyance for commodities onion and potato for a period of one year from the date of commencement of this Order.
- 4. Nothing contained in this Order shall affect the transport, distribution or disposal of onion and potato to places outside the State nor shall it be applicable to import of these commodities:

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of onion and potato and their stocks retained by them.

[F. No.10/2/2014-ECR&E]

MANOJ PARIDA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* S.O. 517(E) dated 29th June, 1999, G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002, S.O. 1302(E) dated 25th November, 2004, S.O. 1373(E), dated the 29th August, 2006.